प्रेस विज्ञप्ति

23.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम [पीएमएलए], 2002 के प्रावधानों के तहत स्वर्गीय श्री ए. एन. ज्ञानेश्वरन [आईएएस] और उनके परिवार के सदस्यों की लगभग 2.56 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों, सावधि जमाओं और बैंक खातों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (एसीबी), चेन्नई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत स्वर्गीय श्री ए. एन. ज्ञानेश्वरन, आईएएस के खिलाफ दर्ज एफआईआर/आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि तमिलनाडु सरकार में विभिन्न पदों पर एक लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए, स्वर्गीय श्री ए. एन. ज्ञानेश्वरन ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और भ्रष्ट एवं गैरकानूनी तरीकों से ऐसी संपत्ति अर्जित की जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अत्यधिक अनुपातहीन है। सीबीआई द्वारा 14-03-2001 को दायर आरोपपत्र में स्वर्गीय श्री ज्ञानेश्वरन और उनके परिवार के पास 11-07-1991 से 31-01-1996 की अवधि के दौरान 7.34 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति होने का अनुमान लगाया गया था। मामले की सुनवाई अग्रिम चरण में है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि पूर्व आईएएस अधिकारी स्वर्गीय श्री ए. एन. ज्ञानेश्वरन ने लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों, मेसर्स शिल्पी गृह कंस्ट्रक्शन्स और डॉ. धर्मम्बल नामशिवायम ट्रस्ट के नाम पर कई अचल और चल संपत्तियाँ अर्जित कीं। तदनुसार, ईडी ने 16 अचल संपत्तियाँ कुर्क की हैं, जिनमें से 12 अचल संपत्तियाँ श्री ए. एन. ज्ञानेश्वरन और उनके परिवार द्वारा 1991 से 1996 के बीच अर्जित प्रत्यक्ष अपराध आय (पीओसी) हैं। अधिग्रहण की तिथि तक 16 अचल संपत्तियों का मूल्य लगभग 1.7 करोड़ रुपये है। ईडी ने स्वर्गीय श्री ज्ञानेश्वरन के परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित एफडी और बैंक खातों को भी कुर्क किया है, जिनमें 86.24 लाख रुपये शेष हैं।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 28.02.2025 को तलाशी ली थी। 27-03-2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें 1.19 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई थी। इस मामले में अब तक कुर्क की गई सभी संपत्तियों का अधिग्रहण मूल्य 3.75 करोड़ रुपये है।

आगे की जाँच जारी है।